कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2482/11–सी–FP/UP/Pipeline/120844/2021, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 25 ,2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद मुरादाबाद में टोरेंट गैस प्रा0लि0, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद–चन्दौसी मार्ग (एन0एच0–509) किमी0 चैनेज 20.000 से 34.100 तक बॉयी पटरी, मुरादाबाद–सम्भल मार्ग (एस0एच0–148) किमी0 चैनेज 6.180 से 16.140 तक बॉयी पटरी, मेरठ–बरेली मार्ग (एन0एच0–24) किमी0 चैनेज 160.050 से 164.100 तक दॉयी पटरी, मेरठ–बरेली मार्ग (न्यु एन0एच0–09) किमी0 चैनेज 166.000 से 174.900 तक बॉयी पटरी एवं मुरादाबाद–ठाकुद्वारा–काशीपुर मार्ग (न्यू एन0एच0–734) किमी0 चैनेज 0 से 2.200 तक बॉयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 2.3544 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव सं0– **FP/UP/Pipeline/120844/2021**

सन्दर्भः उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–240/81–2–2021–800(138)/2021, दि0–08.01.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक–2547/14–1 दिनांक 17.02.2022 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–2482/11–सी– **FP/UP/Pipeline/120844/2021**, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद।
3– प्रबन्धक,, टोरेन्ट गैस प्रा0लि0, 1 फ्लोर, मझोली चौराहा, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

O/C